कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 2796/2021 मनोज कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 15.02.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/मनोज कुमारी/2796/2021/193 दिनांक 24.02.2021 द्वारा श्रीमती मनोज कुमारी को माननीय न्यायालय निर्णयाधीन राउमावि डिगारी जिला जोधपुर एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री श्रवण कुमार का अन्तरिम समायोजन राउमावि थोब, ओसियां जिला जोधपुर पदस्थापित किया गया था।

श्रीमती मनोज कुमारी द्वारा उक्त याचिका को प्रत्याहरित कर लिये जाने एवं श्री श्रवण कुमार द्वारा माननीय न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3823/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2021 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.02.2021 को प्रभावहीन हो जाने के आधार पर खारिज कर दिये जाने के कारण स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.02.2021 श्री श्रवण कुमार एवं श्रीमती मनोज कुमारी, प्रधानाचार्य के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो गया है। अतः उक्त आदेश की अनुपालना में श्री श्रवण कुमार को राउमावि डिगारी जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है एवं श्रीमती मनोज कुमारी, प्रधानाचार्य राउमावि डिगारी जिला जोधपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी आदेश की तत्काल पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/श्रवण कुमार/3823/2021/193 दिनांकः 16.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)